न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट, हापुड

उपस्थितः– उमाकान्त जिन्दल (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6234)

UPHP010003322024

Sessions Case/47/2024

State of U.P. Vs. Kunwarpal

सत्र परीक्षण संख्या 47/2024

मु0अ0सं0 19/2007

सरकार बनाम कुवरपाल आदि

अ0 धारा 379, 307/149, भा0द0सं0,

थाना– धौलाना जनपद– हापुड़।

26.02.2024 **आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)**

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगणकुंवरपाल , झब्बू, अरविन्द, ब्रिजेश , ओमकार जेरे जमानत उपस्थित। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) को सुना गया। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया जिसके द्वारा उन्हे अभियोजन कथानक सिद्ध करना है ।

पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 379, 307/149, भा0द0सं0, के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है । अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओ के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दि0 18.03.2024 को पेश हो । अभियोजन साक्षीगण तलब हो ।

(उमाकान्त जिन्दल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।

दि0 26.02.2024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट, हापुड
उपस्थितः– उमाकान्त जिन्दल (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6234)

UPHP010003322024

Sessions Case/47/2024
State of U.P. Vs. Kunwarpal
सत्र परीक्षण संख्या 47/2024
मु0अ0सं0 19/2007
सरकार बनाम कुवरपाल आदि
अ0 धारा 379, 307/149, भा0द0सं0,
थाना– धौलाना जनपद– हापुड़।

आरोप

मैं, उमाकान्त जिन्दल ,अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस0सी0 एस0टी0एक्ट,हापुड, एतदद्वारा आप अभियुक्तगण कुंवरपाल , झब्बू, अरविन्द, ब्रिजेश , ओमकार पर यह आरोप लगाता हूॅ कि :

प्रथमत ::– यह कि दिनांक 05/06.03.2007 की रात्रि में किसी समय एस0एस0बिल्डर्स कार्यस्थल कन्दौला निकट मुर्गीफार्म बहद थाना धौलाना जिला हापुड सें आप अभियुक्तगण ने सरिया, प्रोप(जैक), लोहे के पाईप तथा अन्य सैटरिंग का सामान चोरी कर लिया । इसके द्वारा आपने एक ऐसा कार्य कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 379 के अधीन एक दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

द्वितीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आप द्वारा चोरी किए गए सामान को तलाशते हुए जब वादी मुकेश शर्मा अपने साथियों के साथ सांय करीब 6.30 बजे ककराना बझैडा सम्पर्क मार्ग पर पहुंचे , तो आप खेतो से सरिया व अन्य सामान निकालकर बुग्गी लादकर भाग रहे थे । वादी व उसके साथियें द्वारा ललकारने पर आप अभियुक्तगण ने सामान्य उददेश्य के अग्रसरण में वादी व उसके साथियों पर जान से मारने की नीयत से फायर कर ,ऐसा कार्य साशय किया कि यदि आपके द्वारा मृत्यु कारित कर दी जाती तो आप हत्या के दोषी होते । इसप्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 307 सपठित धारा 149 के अधीन दण्डनीय अपराध है , और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव एतदद्वारा मैं , आपको आदेशित करता हूॅ कि उक्त आरोपों के लिये आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(उमाकान्त जिन्दल)
दि0 26.02.2024
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।

आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप को अस्वीकार किया और विचारण की मॉग की।

(उमाकान्त जिन्दल)

दि0 26.02.2024

अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।